न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2019-00034RAAJodhpur2019-24RTA223 Gyansingh Vs Ugamsingh etc

ज्ञानसिंह पुत्र श्री मगसिंह, जाति रावणा राजपूत, निवासी– गांव खेतुसर, तहसील बाप, जिला जोधपुर(वर्तमान फलोदी)

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. उगमसिंह पुत्र श्री अखेसिंह
2. रूखमणीदेवी पत्नी स्व. खुड़सिंह
3. दुर्गसिंह पुत्र स्व. श्री धुड़सिंह
4. सांगसिंह पुत्र श्री हमीरसिंह
5. नगसिंह उर्फ लाखनसिंह पुत्र श्री हमीरसिंह
   सभी जातियान् रावणा राजपूत, निवासीगण– गांव खेतुसर, तहसील बाप, जिला जोधपुर(वर्तमान फलोदी)
6. रूपादेवी पत्नी श्री लखुराम
7. गीतादेवी पत्नी श्री भगवानाराम
8. गोपाल विश्नोई पुत्र श्री भगवानाराम(नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता संरक्षक भगवानाराम पुत्र श्री लखुराम)
   सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण– माड़पुरा तहसील बाप, जिला जोधपुर(वर्तमान फलोदी)
9. सरकार जरिये तहसीलदार बाप, तहसील बाप जिला जोधपुर(वर्तमान फलोदी)।
10. उप–तहसीलदार, शेखासर, उप–तहसील शेखासर, जिला जोधपुर(वर्तमान फलोदी)।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 जून 2018 सहायक कलक्टर बाप राजस्व मूल वाद संख्या 290/2013 उगमसिंह बनाम रूकमणीदेवी इत्यादि

उपस्थित–
श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता–रेस्पोडेंट संख्या छः से आठ
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या नौ व दस
शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 26 नवंबर 2024

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 290/2013 अनवान उगमसिंह बना रूकमणीदेवी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 जून 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 29 जनवरी 2019 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1317 रकबा 155.02 बीघा ग्राम बारू के संबंध में धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को केम्प कोर्ट में रखकर अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 12 जून 2018 के जरिये वाद स्वीकार कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया अपनाये बिना, बिना पक्षकारान् को सूचना दिये पत्रावली को केम्प कोर्ट में रखकर बाले–बाले मिलीभगती से बिना तनकीयात कायम किये, बिना बहस सुने निर्णय पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ ने 2024(1) आर.आर.टी. पेज 225 में यह मत प्रतिपादित किया है कि लोक अदालत में मामले गुणावगुण पर निर्णीत नहीं किये जा सकते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिविरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली दिनांक 12.04.2018 को रखी गई थी, जिसे कैम्प कोर्ट बाप में दिनांक 12.06.2018 को रखने का ठप्पा लगाया गया है, जिस पर पीठासीन अधिकारी के कोई हस्ताक्षर ही नहीं है अर्थात सारी कार्यवाही विधि विरूद्ध अपनाई गई एवं येन–केन–प्रकारेण उक्त वाद में निर्णय पारित कर दिया तथा निर्णय एवं उसके साथ पारित डिक्री में वाद बाबत् धारा 88 आर.टी.एक्ट का ही निस्तारण बताया है, जबकि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उक्त वाद धारा 88, 188, एवं 53 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट जो कि रेकर्डेड खातेदार है, जिसके द्वारा उक्त भूमि पूर्व खातेदार अर्जुनसिंह से खरीद की है, जिसमें अर्जुनसिंह ग्राम बारू के खसरा नं. 1275 रकबा 13.15 बीघा, खसरा नं. 1317 रकबा 155.02 बीघा कुल रकबा 168.07 बीघा में अपना संपूर्ण 1/4 हिस्सा अपीलांट को प्रतिफल प्राप्त कर बेचान कर दिया है, जिसका रकबा 42.04 बीघा बनता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 685 को गलत तरीके से खारिज कर दिया एवं चलते दावे में उक्त वाद विचाराधीन रहते हुए उक्त भूमि का फर्जी तरीके से आगे से आगे कागजों में बेचान बताया गया ,जबकि भौतिक कब्जा आज भी अपने हक–हिस्से का अपीलांट के पास है एवं अपीलांट उक्त भूमि का रेकर्डेड खातेदार है, जिसके अधिकारों को इस प्रकार से विधि–विरूद्ध एवं विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना उसका नाम राजस्व रेकर्ड हटाया नहीं जा सकता है तथा न ही उसका रकबा कम किया जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि नवीन सहायक कलक्टर न्यायालय बाप का सृजन होने से पत्रावली सहायक कलक्टर स्थानांतरित की गई, जिसकी सूचना अपीलांट को नहीं दी गई। माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ ने 2024(1) आर.आर.टी. पेज 232 में यह निष्कर्ष प्रतिपादित किया है कि प्रकरण अन्य न्यायालय में अंतरिम किये जाने की सूचना पक्षकारान् को दिया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय होने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को कोर्ट कैम्प में रखे जाने के संबंध में सुनवाई का नोटिस अपीलांट को नही दिये जाने तथा वादी एवं शेष रेस्पोडेंट्स द्वारा मिलीभगती कर उक्त निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री पारित करवाये जाने से अपीलांट को समय पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। सर्वप्रथम दिनांक 24.01.2019 को अजनबी खरीददारान् भगवानाराम विश्नोई वगैरह द्वारा मौके पर आकर ऐलानिया धमकी दिये जाने पर अपीलांट द्वारा सहायक कलक्टर बाप में जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल लेकर जानकारी से एक माह के भीतर हस्तगत अपील प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 जून 2018 को अपास्त फरमाया जावे एवं मामले को अधीनस्थ न्यायालय में इस निर्देश के साथ कि विधिक प्रक्रिया अपनाकर निर्णित करने के प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या छः सें आठ के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1317 रकबा 155.02 बीघा में खातेदार अर्जुनसिंह का 1/4 हिस्से अनुसार रकबा 38 बीघा बनता है। खातेदार अर्जुन सिंह द्वारा उक्त खसरा में निहित अपने हिस्से से अधिक भूमि रकबा 42 बीघा का बेचान किया है जो विधिविरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मनो की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी वह विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के आधार पर लोक अदालत में विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील विलंब से प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा विलंब का कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया गया हैं। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन एव म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम में वर्णित तथ्यों पर विश्वास जाहिर करते हए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा वाद संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रतिवादी संख्या पांच/अपीलांट ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर दिनांक 02.01.2013 को अपना जवाब प्रस्तुत किया। तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा नवीन सहायक कलक्टर न्यायालय बाप का सृजन किये जाने से पत्रावली मामले में नियत पेशी दिनांक 13.08.2013 को प्रस्तुत नही होकर दिनांक 19.09.2013 को पत्रावली सहायक कलक्टर बाप स्थानांतरित की गई। सहायक कलक्टर स्थानांतरित मामले में उभय पक्षकारान् को नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये, किंतु उक्त आदेश की पालना के संबंध में की गई कार्यवाही विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को स्थानांतरित प्रकरण में सम्मन जारी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ ने 2024(1) आर.आर.टी. पेज 232 में धारित मत कि प्रकरण अन्य न्यायालय में अंतरिम किये जाने की सूचना पक्षकारान् को दिया जाना आवश्यक है, हस्तगत प्रकरण पर लागू होता है।

विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 12.04.2018 को पत्रावली को न्याय आपके द्वारे लोक अदालत कैम्प कोर्ट बाप में रखे जाने की आदेशिका मुहर से अंकित किया जाना पाया जाता है, जिस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षरो का अभाव है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण को लोक अदालत केम्प में रखे जाने की सूचना पक्षकारान् को दिये जाने बाबत सम्मन विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को सूचित किये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत मामले में विरचित तनकीवयात पर विवेचन किये बिना मामलों को लोक अदालत में रखकर गुणावगुण पर निस्तारित कर अपीलांट के पक्ष में निष्पादित नामांतरकरण संख्या 685 को निरस्त किया जाना पाया जाता है। माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ द्वारा 2024(1) आर.आर.टी. पेज 225 में यह धारित मत कि लोक अदालत में मामले गुणावगुण पर निर्णीत नहीं किये जा सकते है, हस्तगत प्रकरण पर लागू होता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 290/2013 अनवान उगमसिंह बना रूकमणीदेवी इत्यादि में पारित निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एवं डिक्री दिनांक 12 जून 2018 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट सहित उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत मामले विधिनुसार पुनः निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर